NT>

Title: Regarding admission of the students of Bihar in the engineering colleges of Harayana and Rajasthan.

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन वर्ा 2002 में बिहार के बहुत से छात्रों का चयन हुआ और चयन के बाद उनकी कौंसलिंग भी हुई, लेकिन हरियाणा के एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल द्वारा उत्तीर्ण छात्रों का उसके सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन नहीं किया जा रहा है। जब विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, तब इस तरह का कोई उल्लेख नहीं था कि बिहार इंटरमीडिएट कौंसिल द्वारा उत्तीर्ण इंटरमीडिएट के छात्रों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उन्होंने परीक्षा दी। वे परीक्षा में पास हो गए। उनकी काउंसिलिंग भी हो गई, लेकिन अब उन्हें राजस्थान और हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार से मिले। उनके मंत्रालय हरियाणा और बिहार सरकार के अधिकारियों की एक मीटिंग कराई गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसलिए इस आधार पर कौंसिल के सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों को हरियाणा और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उन्हें प्रवेश दिया जाएगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं बरता जाए और जो छात्र हरियाणा के एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र और राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं जिनकी कौंसलिंग हो चुकी है, उन्हें हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए। एक मेरे संसदीय क्षेत्र के श्री शशि रंजन भी ऐसे ही छात्रों में से एक हैं। उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि ऐसे वे अकेले नहीं बल्कि बिहार के दर्जनों छात्र हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिनकी काउंसलिंग भी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हरियाणा और राजस्थान के कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तब मुझे इस वास्तविकता का पता लगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि बिहार के छात्रों को न्याय प्रदान किया जाए और उन्हें हरियाणा तथा राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और बिहार के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में जो बैठक हुई थी, उसकी प्रोसीडिंग्स लगता है अभी तक राजस्थान और हरियाणा को नहीं भेजी गई हैं। इसलिए यह मामला अधर में लटका हुआ है। बिहार के मेधावी छात्रों ने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने मेधा-सूची में स्थान प्राप्त किया है। उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों की जो बैठक हुई है उसकी प्रेसीडिंग्स हरियाणा एवं राजस्थान सरकारों को भिजवाने की जरूरत है जिससे उन्हें यह ज्ञात हो जाएगा कि बिहार की इंटरमीडिएट कौंसिल को सरकार की मान्यता प्राप्त है।

संसदीय कार्य-मंत्री यहां बैठे हैं। वे मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे तत्काल इस बारे में कार्रवाई करें जिससे बिहार के छात्र हरियाणा एवं राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश से वंचित न हों।